न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 233/2018

अनवान :

1. मेहरदीन उर्फ मोहम्मद दीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 22 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अजमेरी
2. यासीन
3. अमीन
4. शकूरदीन
5. गफूर
6. शमशेर

} पिसरान अलादीन जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम
उपस्थिति :– वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय **दिनांक :** 7.2.19

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता सं0 2/2 के मु0नं0 43 के किला नं0 13 ता 18 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.025 है0 कुल 2.277 है0, बारानी 2.202 है0 गै0मु0 रास्ता 0.075 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक नं0 15 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 108/60 के मु0नं0 35 के किला नं0 5 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.025 है0 किला नं0 6 ता 8, 13 ता 15, 17, 18 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 14, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 40 के किला नं0 5 व 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 5.313 है0 नहरी 5.288 है0 रास्ता 0.025 है0 में से वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के नाम 190 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोहम्मद दीन के स्थान पर मेहरदीन दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मोहम्मद दीन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

है जो कि वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम मोहम्मद दीन ही दर्ज है परन्तु वादी को बचपन में मोहम्मद दीन के साथ साथ मेहरदीन के नाम से भी पुकारा जाता था इसी वजह से वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वास्तविक नाम मोहम्मद दीन दर्ज नहीं होने से वादी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है जबकि वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, में वादी का नाम मोहम्मद दीन दर्ज है और वादी के भूमि के रिकार्ड और दस्तावेजों में अलग अलग नाम दर्ज होने से वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा केसीसी आदि कार्य में अड़चन होती है इसलिए वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मेहरदीन के स्थान पर मोहम्मद दीन दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है और प्रतिवादीगण इसके लिए उत्तरदायी है।

प्रतिवादी सं0 1 ता 6 वादी के साथ उक्त भूमि के हिस्सेदार होने के कारण उनके पक्षकार बनाया गया है और प्रतिवादी सं0 7 लैण्ड होल्डर है इसलिए प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है और सजरा में दर्ज वादी की बहिनों सफीया, रेशमा व बिसिया ने अपने हिस्सा की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क की हुई है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने इकबाली जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी चक 10 बारानी के खाता सं0 2/2 की कुल 2.277 है0 मय रास्ता बारानी और चक 15 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 108/60 की कुल 5.313 है0 मय रास्ता नहरी के रिकार्ड में अपना नाम मेहरदीन के स्थान पर मोहम्मद दीन दर्ज कराने का अधिकारी है ?

— वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी मेहरदीन उर्फ मोहम्मद दीन पुत्र अलादीन के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 बारानी खाता सं0 2/2 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 15 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 108/60 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, चित्रप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति आधारकार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति परिवार राशनकार्ड प्रदर्श 5ए, प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोहम्मद दीन के स्थान पर मेहरदीन दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मोहम्मद दीन है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किया जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 10 बारानी व 15 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवा कर घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में 1 तनकी कायम की गई है जो कि वादी को साबित करनी है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 वादी ने अपने दावा में वाद भूमि चक 10 बारानी व 15 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मोहम्मद दीन के स्थान पर मेहरदीन दर्ज हो जाना, जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मोहम्मद दीन होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी में चित्रप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति आधारकार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति परिवार राशनकार्ड प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये है जिसमें वादी का नाम मोहम्मद दीन पुत्र अल्लादीन अंकित है एवं प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 में नगर पालिका पार्षद वार्ड नं0 26 ने मौहम्मद दीन उर्फ मेहरदीन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना अंकित किया है, किन्तु उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कब गलत दर्ज हुआ है और यह गलत नाम दर्ज होन की कड़ी कहा से प्रारम्भ हुई है एवं ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मोहम्मदीन व मेहरदीन एक ही व्यक्ति हो ऐसा साबित हो सके जिस विरासतन इंतकाल से मेहरदीन दर्ज हुआ उसका रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होकर साबित करना पड़ता है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है, इसलिए यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि हस्तगत दावा में एक ही तनकी कायम की गई थी जो कि वादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है। इस प्रकार वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नहीं होने के कारण व खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....7:2:19.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

([illegible] कस्वा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 233/2018

अनवान :

1. मेहरदीन उर्फ मोहम्मद दीन पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 22 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अजमेरी
2. यासीन
3. अमीन
4. शकूरदीन
5. गफूर
6. शमशेर

(1 से 5 तक) पिसरान अलादीन जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नहीं होने के कारण व खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)